Gmail **Bihar Cricket Association <biharcricketassociation@gmail.com>**

Amended Requisition Letter

1 message

BCA FULL MEMBERS <bcafullmembers@gmail.com> Mon, Aug 10, 2020 at 12:55 PM
To: secretarybca78@gmail.com, biharcricketassociation@gmail.com

सेवा में

सचिव महोदय,

बिहार क्रिकेट एसोसिएशन

पटना, बिहार

विषय: SGM आहुत करने लिए संशोधित Requisition प्रेषित.

मदोदय

आग्रह पूर्वक सूचित हो कि 7 अगस्त 2020 को जिला संघों की बैठक में हुए निर्णय के आलोक में SGM आहुत करने के लिए दिए गए Requisition Letter को संसोधित करके भेजा जा रहा है. विदित हो की बीसीए संविधान के अनुसार SGM आहुत करने के लिए सचिव को Requisition Letter दिए जाने का प्रावधान है. उक्त पत्र में संयुक्त सचिव के नाम का उल्लेख होना असंवैधानिक होगा.

कृपया संसोधित Requisition Letter को वेबसाईट पर प्रदर्शित करने की कृपा की जाय.

धन्यवाद,

प्रेम रंजन पटेल

जिला संघो की बैठक में मनोनीत अध्यक्ष

एवं अध्यक्ष, लखीसराय, जिला क्रिकेट संघ.

सेवा में,

Date: 7.08.2020

श्रीमान सचिव महोदय,
बिहार क्रिकेट एसोसिएशन, पटना।

विषय- बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के संविधान की धारा 12(1)(c) के तहद बिहार क्रिकेट संघ की विशेष आम सभा आहूत करने के संबंध में।

महाशय,

माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन में बिहार क्रिकेट एसोसिएशन की कार्य समिति का चुनाव दिनांक 29.09.2019 को भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षी समिति के पर्यवेक्षण में नियुक्त चुनाव पदाधिकारी की देख रेख में सम्पन्न हुआ था, ज़िला क्रिकेट संघो, बिहार के क्रिकेटरों एवं बिहार क्रिकेट से जुड़े लोगों को नव निर्वाचित कार्य समिति से काफी अपेक्षाएं थी। परंतु चुनाव के कुछ दिनों उपरांत नव निर्वाचित पदाधिकारियो के बीच विवाद प्रारम्भ हो गया, जिसके कारण अपेक्षा के अनुरूप कार्य नहीं होने लगा। पदाधिकारीगण वर्चस्व की लड़ाई में संलिप्त हो गए। विवाद का मुख्य कारण अध्यक्ष के द्वारा बिहार क्रिकेट संघ के संविधान के धारा 5(b)(1) का अनुपालन किये बगैर एजीम/एसजीम/जीबीम उन अनाधिकृत/अयोग्य पधाधिकारियों के साथ करना जो संविधान की धारा 5(b)(1)(i) के तहद जिलों के COM के पदाधिकारी नहीं रह जाते हैं .अध्यक्ष के द्वारा पूर्व के लोकपाल और चुनाव अधिकारी के आदेशो की लगातार अवेलना की जा रही है, जो बिहार क्रिकेट को असंवैधानिक तरीके से संचालित करने का स्पष्ट प्रमाण है..

कोई भी गैर सरकारी संगठन अपने संविधान/नियम से संचालित होती है संस्था के पदाधिकारियो से यह अपेक्षा होती है कि संस्था के संविधान के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करे।

सखेद सूचित करना पड़ता है कि वर्तमान अध्यक्ष की अध्यक्षता वाली कार्य समिति का जो कार्य कलाप रहा है वह न तो संविधान सम्मत है और न ही तो यह कमेटी बिहार क्रिकेट एवं बिहार के क्रिकेटरों के हित में कार्य कर रही है अपितु अधिकांश पदाधिकारी अपने लिए सुविधा के जुगाड़ में संलिप्त है, बिहार क्रिकेट एवं बिहार के क्रिकेटर्स को ऊपर वाले के भरोसे छोड़ दिया गया है।

हम सभी सदस्य/प्रतिनिधि ने क्षुब्ध होकर 2 अगस्त 2020 को विडिओ कांफ्रेंसिंग के द्वारा वर्तमान कार्य समिति के क्रिया कलापों का मूल्यांकन किया और एकमत होकर पाया कि इस वर्तमान कार्य समिति के खिलाफ निम्न आरोप बनते हैं:-

1. कार्य समिति के पदाधिकारियो के बीच सामंजस्य एवं सहमति का घोर अभाव है। पदाधिकारीगण मनमाने ढंग से बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का संचालन कर रहे है।बिहार क्रिकेट के संविधान के प्रावधानों का घोर उलंघन हो रहा है।

2. वर्तमान कार्य समिति के गठन से दस महीनों का समय गुजर गया, परंतु बिहार क्रिकेट एवं बिहार के क्रिकेटरों के हित में एक भी निर्णय एवं कार्ययोजना नहीं बनी, अपितु कार्य समिति के पदाधिकारीगण अपनी सुख सुविधा के जुगाड़ में जुट गए. इसी कड़ी में पदाधिकारियों द्वारा मोटी तनखाह पर सभी अपने अपने लिए निजी सचिव की भी नियुक्ति कर ली गयी। हमारी जानकारी में अबतक ऐसा किसी राज्य संघ में नहीं हुआ है। यह अनुत्पादक खर्च हम ज़िला संघों के आर्थिक हितों के विरुद्ध है। ज़िला संघो को अभी तक जिला में क्रिकेटीय संसाधन के विकाश के लिए एक पैसा नहीं दिया गया, दूसरी तरफ पदाधिकारीगण अपनी सुख सुविधा पर लाखों रुपये खर्च कर रहे हैं, वह भी BCCI द्वारा प्रदत्त अनुदान में से। बीसीए का अपना राजस्व शून्य है।

3. BCCI जो अनुदान राज्य संघों को उपलब्ध कराती है उसे खर्च के लिए दिशा निर्देश जारी की है, वर्तमान कार्य समिति के द्वारा BCCI के दिशा निर्देश का पालन नहीं करते हुए मनमाने ढंग से अनुदान की राशि खर्च की जा रही है।

4. दिनांक 25.05.2019 को बीसीए की वार्षिक आम सभा में वर्ष 2019-20 बजट पारित किया गया था। अगला बजट पारित होने तक बीसीए का खर्च पारित बजट के अनुरूप होना चाहिए था परंतु ऐसा नहीं हुआ, मनमाने ढंग से खर्च किया गया जो नियमानुकुल नहीं है।

5. दिनांक 25.05.2019 की वार्षिक आम सभा में ethics officer का कार्यकाल में वृद्धि की गई थी। अर्थात उनका कार्यकाल एक वर्ष के लिए बढ़ाया गया था, और उक्त ethics officer श्री वी के जैन ने अपना कार्यकाल भी पूरा किया, लेकिन 31.01.2020 को हुई विवादित वार्षिक आम सभा में कार्यरत ethics officer को बगैर सूचित किये हुए नए ethics officer की नियुक्ति कर दी जाती है, जो अनुचित और असंवैधानिक है, तथा अवकाश प्राप्त न्यायिक अधिकारी का अपमान भी है.

6. बिहार क्रिकेट एसोसिएशन में लोकपाल , नैतिक अधिकारी (ethics officer), चार्टेड एकाउंटेंट , चुनाव अधिकारी आदि की वैधानिक प्रक्रिया का पालन कर नियुक्ति किया जाना आवश्यक है.

7. चयनकर्ताओं और कोच की कार्यशैली की समीक्षा करते हुए लोढ़ा कमेटी के अनुशंसा के अनुरूप विस्तृत निर्देशिका तैयार करने की जरूरत है.

8. वार्षिक आम सभा चुनावी वर्ष के अतिरिक्त एक वित्तीय वर्ष में एक बार आहूत की जा सकती है उसके लिए बीसीए के संविधान में स्पष्ट उल्लेख है कि वार्षिक आम सभा की कार्य वृति क्या होगी, परंतु बीसीए संविधान के नियम11 के विपरीत दिनांक-31.01.2020 को विवादित वार्षिक आम सभा आहूत की गई जो दर्शाता है कि बीसीए के अध्यक्ष एवं अन्य पदाधिकारियो का बीसीए संविधान के प्रति निष्ठा नहीं है, अपितु अध्यक्ष अपने को बीसीए के संविधान से ऊपर मानते हैं।इसी प्रकार आकस्मिक कार्य समिति की बैठक किसी खास प्रयोजनार्थ आहूत की जा सकती है, उस बैठक का खास एजेंडा पर ही चर्चा कर निर्णय लिया जा सकता है। इस आकस्मिक बैठक में पूर्व में हुई कार्य समिति की बैठक के निर्णय कि संपुष्टि का प्रावधान नहीं है। परंतु दिनांक-28.05.2020 की आहूत आकस्मिक कार्य समिति की बैठक के एजेंडा के अवलोकन से स्पष्ट है कि नियम 12 के प्रावधान का उल्लंघन किया गया है।

9. बीसीए की कार्य समिति के चुनाव के दस महीने से अधिक का समय गुजर गया परंतु बिहार में क्रिकेट की मूलभूत संरचनाओं के विकास की योजना नहीं बनाई गई और न ही तो खिलाडियों के प्रशिक्षण के लिए कोई कदम उठाया गया। पदाधिकारीगण अपनी सुविधाओ के विस्तार करने तथा अपने कुछ खास लोगों को विभिन्न पद एवं सुविधा की व्यवस्था देने में लिप्त हैं। ज़िला संघो की बेहतरी एवं बिहार में क्रिकेट के विकास की चिंता पदाधिकारियो को नहीं है।

10. बीसीए के संविधान में किसी भी पदाधिकारी को किसी प्रकार की नियुक्ति करने का अधिकार प्राप्त नहीं है परंतु अध्यक्ष अपनी इक्छा के अनुसार नियुक्तियां कर रहे है, नियुक्त लोगों के पारिश्रमिक, वेतन निर्धारित कर रहे हैं। अध्यक्ष के द्वारा किये गए सभी कार्यों की विस्तृत जाँच करने की आवश्यकता है.

11. कार्यसमिति अध्यक्ष समेत विभिन्न मदों में करोड़ो रूपये खर्च कर रही है परंतु बिहार को प्रतिनिधित्व करने वाले विभिन्न आयु वर्ग के खेलाडियो, कोचों, सपोर्ट स्टाफ, मैदान तैयार करने वालों के पारिश्रमिक भुकतान के लिए अभी तक कोई ठोस करवाई नहीं की गई है।जबकि BCCI के सभी टूर्नामेंट के खत्म होने के बाद करोड़ो रूपये गैर खेल गतिविधियों में खर्च किए गए हैं।

12. इस साल समय रहते घरेलू टूर्नामेंट के आयोजन नहीं किए गए। खिलाडी गण अपनी प्रतिभा दिखाने से वंचित रह गए। अभी खाना पूर्ति का प्रयास किया जा रहा है। इसका अर्थ यह है कि वर्तमान समिति को खेल और खिलाडियों से मतलब नहीं है, क्रिकेट के नाम पर केवल राजनीति करने की मंशा है।

13. बीसीए के पदाधिकारियो के बीच विवाद लगातार बढ़ रहा है जिसकी जानकारी BCCI के पदाधिकारियो को भी है। इन विवादों के कारण बीसीए की मान्यता पर खतरा उत्पन्न हो गया है, स्थिति में परिवर्तन नहीं होने की दशा में BCCI किसी अन्य संस्था/समिति को बिहार में क्रिकेट संचालन का जिम्मा दे सकती है उसके लिए वर्तमान कार्यसमिति जिम्मेवार होगी बिहार के खिलाडी इसके लिए वर्तमान पदाधिकारियो को माफ नहीं करेगी।

14. बीसीए के संविधान में प्रत्येक पदाधिकारी के अधिकार एवं कर्तव्य परिभाषित है, परंतु अधिकारीगण खासकर अध्यक्ष दूसरे पदाधिकारियो के अधिकारों को अतिक्रमण कर मनमाने ढंग से बीसीए का संचालन कर रहे है। बीसीए के कार्य कलापों में कुछ बाहरी लोगों का भी काफी हस्तकछेप है। ज़िला संघो के पदाधिकारियो को कुछ अपवाद छोड़ कर सम्मान नहीं दिया जाता है अपितु उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं आरोपों के आलोक में हम बीसीए के पूर्ण सदस्यों का वर्तमान अध्यक्ष एवं आपके सहयोगी पदाधिकारियो पर अविश्वास उत्पन्न हो गया है। अत: इस अधिपेक्षा बैठक के माध्यम से हम सबों की मांग है की विशेष आम सभा की बैठक के लिए सचिव महोदय के द्वारा तय किये गए एजेंडा में कमेटी के अध्यक्ष और असंवैधानिक कार्यों में लिप्त उनके सहयोगियों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की मांग करते हैं.

अतः हम बीसीए के पूर्ण सदस्य बीसीए के संविधान के नियम 12 (1) (c) के अंतर्गत अधिपेक्षा (requisition) समर्पित करते हुए यह आग्रह करते हैं कि बीसीए की विशेष आम सभा संविधान के नियम 12 की विभिन्न उपधाराओं के अंतर्गत आहूत करने का निर्देश देने का कष्ट करें। इस आम सभा के लिए निर्धारित किये जाने वाले एजेंडा में, जिला संघो की बैठक में हुई मांग और बिहार क्रिकेट की जरूरत को आधार बनाया जाय. अन्यथा हम अधिपेक्षा समर्पित करने वाले पूर्ण सदस्य विशेष आमसभा आहूत करने को बाध्य होंगे तथा अधिपेक्षित विशेष आम सभा मे लिए गए निर्णय वर्तमान कार्य समिति पर बाध्यकारी होगा।

बैठक की तिथि: 2 अगस्त 2020, समय: 4 PM से
द्वारा : विडिओ कांफ्रेंसिंग
कुल शामिल जिला संघो की संख्या- 23
बैठक की अध्यक्षता : प्रेमरंजन पटेल (अध्यक्ष, लखीसराय जिला क्रिकेट संघ)

ध्यान दें:

1. चूँकि यह अधिपेक्षा (requisition) बैठक में विडिओ कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जो विचार विमर्श हुआ, के आधार पर है, और उक्त विडिओ का आकार बड़ा है, अत: बैठक की रिकार्डिंग का विडियो कुरियर के माध्यम से भेजा जा रहा है.
2. चूँकि यह अधिपेक्षा (requisition) ईमेल के द्वारा भेजा जा रहा है, इसलिए इसमें सभी सदस्यों का हस्ताक्षर नहीं है.
3. सभी उपस्थित सदस्यों का विवरण संलग्न है.

धन्यवाद,

विश्वास भाजन,

प्रेम रंजन पटेल
अध्यक्ष,
लखीसराय जिला क्रिकेट संघ